

24²/₂₁

श्रीमान् डिप्टी कमिश्नर उपाधी मुताबिक कमा०
सं ॥६ दिनांक २४/११/२०१९ वाके शास-
नात्मनि वा सुपुश से डिप्टी से पालना होना
जाहिर है। सो कारवाही इनकाय ड्रॉप कीजली
है। पत्रावली के फल मुताबिक नवंबर से कमा
हो। हुक्म आज खुले न्यायालय से हुमाय
गया।

Rulay